

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।
पत्रांक - १२०५ / ३३-) / उरई, दिनांक अक्टूबर २३ २०१७।

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
वुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र० झांसी।

विषय:-

पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड WR-II झांसी द्वारा 765 केवी सतना ग्वालियर ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 है, संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 है। संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.2886 है। संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयाग एवं उस पर अवयस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के पत्रांक—WR-II/TLC/JHS/SAT-GWL/395 दिनांक 12.10.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में वांछित लोक निर्माण विभाग उरई का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्नकर पुनः प्रस्ताव चार—चार प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बी०आर० अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा०वा०, वन प्रभाग उरई।

पू०सं०—

/

समदिनांक।

प्रतिलिपि— मुख्य प्रवंधक पावर ग्रिड झांसी को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की चारों प्रतियां लेकर सम्बन्धित को वन संरक्षक वुन्देलखण्ड वृत्त झांसी के कार्यालय से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(बी०आर० अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा०वा०, वन प्रभाग उरई।